

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग—II-खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 104 (आर.ई. 2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

विषय:- भैंस की चर्बी के नियात की अनुमति।

सा0आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 (समय–समय पर यथासंशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नियात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय-15 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से क्रम सं0 91 की प्रविष्टि को संशोधित करती है तथा क्रम सं0 91क में नई प्रविष्टि शामिल करती है:

2. मौजूदा प्रविष्टि

अध्याय 15

पशु या वनस्पति वसा और तेल तथा उनके विदलन उत्पाद; निर्मित खाद्य वसा; पशु और वनस्पति मोम

क्रम सं0	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	नियात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
91	15010000 15020010 15020020 15020030 15020090 15030000 15050010 15050020 15050090 15060010 15060090	किग्रा.	मछली के तेल और लैनोलिन को छोड़कर किसी पशु मूल की चर्बी, वसा और / अथवा तेल	निषिद्ध	नियात की अनुमति नहीं है।

संशोधित प्रविष्टि

अध्याय 15

पशु या वनस्पति वसा और तेल तथा उनके विदलन उत्पाद; निर्मित खाद्य वसा; पशु और वनस्पति मोम

क्रम सं०	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
91	1501 15011000 15012000 15019000 1502 150210 15021010 15021090 150290 15029010 15029020 15029090 15030000 1505 150500 15050010 15050020 15050090 1506 150600 15060010 15060090	किग्रा.	मछली के तेल, भैंस की चर्बी और लैनोलिन को छोड़कर किसी पशु मूल की चर्बी, वसा और/अथवा तेल	प्रतिबंधित	निर्यात की अनुमति नहीं है।
91क	15021090	किग्रा.	भैंस की चर्बी	मुक्त	निर्यात केवल एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रतिपादन सुविधाओं वाले समेकित मांस संयंत्र से एपीडा द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा अनिवार्य पोत लदानपूर्व जैव रासायनिक परीक्षण के अधीन अनुमत होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: भैंस की चर्बी के निर्यात को अनुमत किया गया है। भैंस की चर्बी के निर्यात को मद विवरण के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फारम सं० 01/91/180/774/एएम10/निर्यात सेल से जारी)